Prepp
Your Personal Exams Guide

VTYH–T–IIIR

प्रश्न-पत्र—III / PAPER—III

टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन

NOTING AND DRAFTING, PRÉCIS WRITING

(विषयनिष्ठ / Subjective)

निर्धारित समय : तीन घण्टे	*अधिकतम अंक : 200*
Time Allowed : Three Hours	*Maximum Marks : 200*

प्रश्न-पत्र के लिए विशेष अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें।

चार प्रश्न **हिन्दी** और **अंग्रेजी** दोनों भाषाओं में छापे गए हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रश्न संख्या **3** के **तीन** भाग हैं, जिनमें से **दो** भाग करने हैं।

प्रश्न संख्या **4** के **छः** भाग हैं, जिनमें से **चार** भाग करने हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अधिकतम अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम (**हिन्दी** या **अंग्रेजी**) में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

जहाँ भी प्रश्नों में शब्द-सीमा विनिर्दिष्ट है, उसका पालन करना आवश्यक है।

क्यू० सी० ए० पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें।

आप किसी भी उत्तर में अपना परिचय प्रकट न करें।

नोट : *आपका तथा आपके कार्यालय का नाम, अनुक्रमांक अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिए।*
उत्तरों में यदि आवश्यक हो, तो उपर्युक्त के लिए XXXX या YYYY या ZZZZ इत्यादि का उपयोग करें।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are **four** questions printed both in **Hindi** and in **English**.

All questions are compulsory.

Question No. **3** has **three** parts out of which **two** are to be attempted.

Question No. **4** has **six** parts out of which **four** are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium (**Hindi** or **English**) as authorized in the Admission Certificate and this medium must be stated clearly on the cover page of the Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the QCA Booklet must be clearly struck off.

You must not disclose your identity in any of your answers.

Note : *The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed anywhere in the answers.*
Use XXXX or YYYY or ZZZZ, etc., in case any of the above are required in answers.

Prepp
Your Personal Exams Guide

1. निम्नलिखित लेखांश का लगभग एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए एवं इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाइए :

लैंगिक समानता प्रथम और प्रमुख मानवाधिकार मुद्दा है। एक महिला को यह अधिकार है कि वह गरिमा और आजादी के साथ रहे। विकास को आगे बढ़ाने और गरीबी को कम करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना अपरिहार्य है। सशक्त महिलाएँ परिवारों और समुदायों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में योगदान करती हैं और अगली पीढ़ी के लिए संभावनाओं में सुधार करती हैं। डॉ० बी० आर० अम्बेडकर ने कहा है, "मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।"

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिला सशक्तिकरण के पाँच घटक हैं : उनका आत्ममूल्य का बोध; विकल्प निर्धारित करने का अधिकार; अवसरों और संसाधनों तक पहुँच का अधिकार; घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी स्वयं की जिंदगी को नियंत्रित करने का अधिकार; तथा अधिक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता। लैंगिक समानता आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है।

भारतीय शास्त्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है। 'सहधर्मिणी' शब्द, जिसका अर्थ है समान भागीदार, वैदिक काल से जाना जाता है। अतः प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं को आदर और सम्मान प्राप्त था। उन्हें अपना जीवन-साथी चुनने का अधिकार था और निर्णय लेने का अधिकार भी। उपनिषदों में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष। धीरे-धीरे लैंगिक समानता की परंपरा का ह्रास होना शुरू हुआ और समाज में असमानता फैलने लगी। लगभग हर देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज ने उनकी आजादी को दबाया है। महिलाओं को उनके घरों में कैद कर दिया गया ताकि वे मतदान न कर सकें अथवा अपने विचार भी सामने न रख सकें। भारत में बाल-विवाह, सती-प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियाँ भी महिलाओं के विरुद्ध शुरू हो गयीं। आशा की एक किरण दिखाई दी जब राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर उभरकर सामने आए और महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई। राष्ट्रीय परिदृश्य में गाँधीजी के उदय के बाद सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त, उषा मेहता आदि महिलाओं ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इसके बाद हुए कुछ आंदोलनों, विरोधों और क्रांतियों ने महिलाओं के हितों को आगे बढ़ाया।

इसके बाद किए गए अनेक उपायों के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव—लिंग-आधारित हिंसा, आर्थिक भेदभाव, प्रजनन स्वास्थ्य असमानताएँ और हानिकारक पारंपरिक प्रथाएँ—अभी भी असमानता का सबसे व्यापक और स्थायी रूप बना हुआ है। प्रतिदिन बढ़ती घरेलू हिंसा और बलात्कार आदि के साथ-साथ हिंसा और सुरक्षा, महिलाओं के लिए प्रमुख खतरे हैं। उन्हें समान कार्य के लिए पुरुष से कम वेतन दिए जाने के अनुचित व्यवहार का भी शिकार होना पड़ता है।

विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिला को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है। अमरीका के धार्मिक और राजनीतिक नेता ब्रिघम यंग ने कहा है कि "आप एक महिला को शिक्षित करते हैं; आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।" मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणापत्र में बल दिया गया है कि "प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार है"। लेकिन विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा औपचारिक शिक्षा कम दी जाती है और उनके ज्ञान, क्षमताओं और मुकाबला करने के तंत्र को अक्सर पहचान नहीं मिलती। उल्लेखनीय प्रयासों के बावजूद, दुनिया के एक-तिहाई से अधिक वयस्कों, ज्यादातर महिलाओं, की पहुँच मुद्रित ज्ञान, नए कौशल या प्रौद्योगिकियों तक नहीं है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें।

महिला सशक्तिकरण समय की माँग है ताकि वे स्वयं के लिए आवाज उठा सकें और अन्याय का शिकार न हो पाएँ। महिलाओं की स्वायत्तता और सशक्तिकरण तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार, सतत विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। प्रजनन जीवन, बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण तथा गृहस्थी के प्रबंधन में पति और पत्नी दोनों की पूर्ण भागीदारी और साझेदारी आवश्यक है।

Prepp
Your Personal Exams Guide

राजनीतिक प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध सभी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए; उनके अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने; परंपरागत व्यवसायों से परे आय अर्जित करने की उनकी क्षमता में सुधार; आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और समाज सुरक्षा प्रणालियों तथा श्रम बाजार तक पहुँच को सुनिश्चित करने में उनकी सहायता की जानी चाहिए।

अनेक ऐसे संगठन हैं जो महिलाओं के पक्षधर हैं, कानूनी और नीतिगत सुधारों, लिंग संवेदनशील डेटा संग्रह को प्रोत्साहित करते हैं और उन परियोजनाओं का समर्थन करते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने वाली तथा जीवन में उनके विकल्पों का विस्तार करती हैं। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, महिलाओं को एहसास होने लगा कि उनके जीवन का अर्थ केवल घर में काम करते रहने से कहीं अधिक है। अधिकाधिक महिलाओं ने मानव-निर्मित बाधाओं को पार करना शुरू किया और अपनी आवाज ऊँची की। मताधिकार प्राप्त करने और गर्भनिरोधक गोलियों के प्रयोग से समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं के मताधिकार के समर्थन में अनेक मताधिकार आंदोलन चलाए गए। अमरीका में एलिजाबेथ स्टेंटन जैसे व्यक्तियों और राष्ट्रीय अमरीकी महिला मताधिकार संघ, राष्ट्रीय महिला पार्टी आदि संगठनों ने महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभायी। इंग्लैंड में महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक संघ ने महिलाओं के मताधिकार के लिए आक्रामक रूप से प्रचार किया। कुवैत, क़तार, ज़ैरे, बहरीन, एन्दोरा, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र आदि ने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। कुछ देशों में धार्मिक आदेश के आधार पर ड्रेस कोड लागू करने के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं।

भारत की आजादी के पश्चात् महिलाओं ने अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करना शुरू किया है। आज महिलाएँ सर्वत्र हैं। देश में महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी हैं। चाहे खेल हो, शिक्षा हो, कानून प्रवर्तन हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो अथवा विमानन और रक्षा हो, इनमें जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अनेक प्रतिष्ठित महिलाएँ हैं। जमीनी स्तर पर राजमिस्त्री, ड्राइवर, पेट्रोल पंप सहायक आदि अनेक महिलाएँ हैं, जिनका प्रदर्शन पुरुषों के बराबर है।

नए जमाने की भारतीय महिला, विशेष रूप से शहरी महिला, कहीं अधिक सशक्त है, घरेलू और व्यक्तिगत मामलों में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकारों से लाभान्वित हो रही है। बच्चा पैदा करना है या नहीं, इसका निर्णय पति और पत्नी संयुक्त रूप से लेते हैं। आज की महिलाएँ अबाधित कामकाजी जीवन जी रही हैं।

समाज के निचले स्तर पर रह रही महिलाओं को सशक्त किए बिना महिला सशक्तिकरण सफल नहीं हो सकता। उनके सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उन महिलाओं को जो पहले से ही सशक्त हैं, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और पिछड़ गयी महिलाओं को अन्याय तथा असमान व्यवहार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(लगभग 1000 शब्द)

Make a précis of the following passage in about one-third of its length and suggest a suitable title for it :

Gender equality is, first and foremost, a human rights issue. A woman is entitled to live in dignity and freedom. Empowering women is indispensable for advancing development and reducing poverty. Empowered women contribute to the health and productivity of families and communities and improve prospects for the next generation. "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved", said Dr. B. R. Ambedkar.

According to the United Nations, women's empowerment has five components : their sense of self-worth; right to determine choices; right to have access to opportunities

Prepp
Your Personal Exams Guide

and resources; right to control their own lives, both within and outside the home; and ability to influence social change to create more just social and economic order. Gender equality is one of the eight Millennium Development Goals.

In Indian scriptures, women have the same status as men. The word 'Sahadharmini', meaning equal partner, was known from the Vedic days. Thus in ancient days, Indian women enjoyed respect and reverence. They had the right to select their life partners and the power to take decisions. The Upanishads also clearly declare that individual souls are neither male nor female. Gradually, this tradition of gender equality started declining and inequality started creeping in the society. Almost every country has been ill-treating their women. The patriarchal society suppressed their freedom. Women were confined to their homes and not allowed to vote or even put forward their views. In India, social evils against women like child marriage, Sati, etc., also started. A ray of hope emerged when Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar raised their voice for women's rights. After Gandhiji's emergence in the national scene, women like Sarojini Naidu, Kalpana Dutta, Usha Mehta, etc., became active participants in the Indian freedom struggle. Certain movements, protests and revolutions that followed thereafter furthered the cause of women.

Despite a number of progressive measures that followed, discrimination against women—gender-based violence, economic discrimination, reproductive health inequities and harmful traditional practices—still remain the most pervasive and persistent form of inequality. Violence and safety are major threats to women with domestic violence, rapes, etc., increasing day-by-day. They are also subjected to the unfair practice of being paid less than the male for the same work.

Education is very important for empowering women with the knowledge, skills and self-confidence necessary to fully participate in the development process. "You educate a woman; you educate a generation", said Brigham Young, the American religious and political leader. The Universal Declaration of Human Rights asserted that "everyone has the right to education". But in most regions of the world, women receive less formal education than men and their knowledge, abilities and coping mechanisms often go unrecognized. Despite notable efforts, more than one-third of world's adults, mostly women, have no access to printed knowledge, new skills or technologies that would improve the quality of their lives.

Women's empowerment is the need of the hour to enable them to speak up for themselves and to be not a victim of injustice. Empowerment and autonomy of women and improvement in their political, social, economic and health status are very important for sustainable development. Full participation and partnership of

Prepp
Your Personal Exams Guide

both husband and wife is necessary in reproductive life, in the care and nurturing of children and management of the household.

Effective mechanisms should be established for women's equitable participation and representation at all levels of political process and public life. Emphasis should be on elimination of all discriminatory practices against women; assisting them in realizing their rights; improving their ability to earn income beyond traditional occupations; achieving economic self-reliance and ensuring access to labour market and social security systems.

There are several organizations advocating for women, promoting legal and policy reforms, gender-sensitive data collection and supporting projects that improve women's health and expand their choices in life. As time progressed, women started realizing that their life meant much more than just serving in the household. More and more women started crossing the man-made barriers and made their voices heard. Gaining voting rights and use of contraceptive pills significantly lifted the position of women in society. Many suffrage movements campaigned in support of women's voting rights. In the US, individuals like Elizabeth Stanton and organizations like National American Woman Suffrage Association, National Woman's Party, etc., played key roles in securing voting rights for women. In the UK, the Women's Social and Political Union aggressively campaigned for women's suffrage. Kuwait, Qatar, Zaire, Bahrain, Andorra, Central African Republic, etc., granted women the right to vote. Movements are presently on, in some countries, against imposition of dress codes based on religious diktat.

After India's Independence, women started regaining their lost power. Today women are everywhere. The country has seen its female Prime Minister and Presidents. It has many eminent women in almost all walks of life, be it in sports, education, law enforcement, science and technology or even aviation and defence. At the grassroots level, there are many female masons, drivers, petrol pump attendants, etc., and their performance is on par with that of men.

The new age Indian woman, particularly urban woman, is far more empowered, enjoying significant decision-making powers in household and personal matters. The decision on whether and when to have a child is now jointly taken by both husband and wife. Present-day women also enjoy unhindered work life.

Women empowerment cannot be successful if those in the lower rung of society are left out. To facilitate their empowerment, those already empowered should play an active role and encourage the former to raise their voices against injustice and unequal treatment.

(*1000* words approximately) 50

Prepp
Your Personal Exams Guide

2. निम्नलिखित तालिका द्वारा कृषि वस्तुओं में भारत के व्यापार और विश्व कृषि व्यापार में इसकी भागीदारी के आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। वाणिज्य विभाग के अनुभाग अधिकारी के रूप में इस क्षेत्र में आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने हेतु उपाय सुझाते हुए इन वस्तुओं के आयात-निर्यात परिदृश्य पर मंत्रालय में आंतरिक विचारार्थ एक टिप्पणी लिखिए :

The following table gives the data of India's trade in agri-commodities and its share in world agri-trade. As Section Officer in the Department of Commerce, write a note for internal discussion in the Ministry on the import-export scenario of these items, suggesting measures for reducing imports and increasing exports in the sector : 40

विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि व्यापार का हिस्सा

INDIA'S SHARE OF AGRI-TRADE IN WORLD AGRI-TRADE

(कीमत अमरीकी बिलियन डॉलर में/Value in US $ billion)

वर्ष Year (1)	*आयात/Import*			*निर्यात/Export*		
	भारत India (2)	विश्व World (3)	हिस्सा (%) Share (%) (4)	भारत India (5)	विश्व World (6)	हिस्सा (%) Share (%) (7)
2001	3·92	441·83	0·89	5·23	414·53	1·26
2002	4·03	465·34	0·87	5·52	442·86	1·25
2003	4·91	551·81	0·89	6·50	525·54	1·24
2004	5·12	638·54	0·80	7·06	607·64	1·16
2005	5·36	679·98	0·79	9·02	653·81	1·38
2006	7·07	754·18	0·94	11·26	721·85	1·56
2007	8·09	913·51	0·89	16·71	873·72	1·91
2008	9·14	1118·87	0·82	17·31	1068·03	1·62
2009	12·82	988·34	1·30	15·66	951·56	1·65
2010	10·66	1107·93	0·96	19·97	1085·63	1·84
2011	17·26	1358·25	1·27	30·29	1321·45	2·29
2012	20·19	1371·19	1·47	38·17	1338·96	2·85
2013	19·22	1430·67	1·34	42·49	1397·95	3·04
2014	21·30	1451·10	1·47	36·18	1421·84	2·54
2015	22·40	1317·42	1·70	28·66	1275·06	2·25
2016	24·08	1315·20	1·83	26·49	1287·32	2·06
2017	27·39	1441·46	1·90	30·42	1411·29	2·16
2018	21·68	1500·34	1·45	30·74	1454·10	2·11
2019	21·69	1486·99	1·46	29·30	1444·67	2·03
2020	14·84	1016·44	1·46	30·55	1475·84	2·07
2021	15·78	1134·44	1·39	40·84	1408·27	2·90

Prepp
Your Personal Exams Guide

3. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** के उत्तर दीजिए :

Attempt any *two* of the following :

(a) खिलौनों के साथ चूँकि कई स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दे जुड़े हैं, भारत ने जनवरी 2021 में देश में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी० आइ० एस०) से 'आइ० एस० आइ०' का गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। देश में 'आइ० एस० आइ०' चिह्न प्राप्त किए बिना खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध है। उपभोक्ताओं के हित में 16 जून, 2021 से चरणबद्ध रूप में स्वर्ण से बनी वस्तुओं पर हॉलमार्क का चिह्न अनिवार्य है।

उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में व्यापार और उद्योग पर दोनों अनिवार्य आदेशों के प्रभाव का आकलन करने और आदेशों के उल्लंघन, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए, खिलौनों की दुकानों और ज्वैलर्स के परिसरों में दो देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू किए। अन्य बातों के अलावा सर्वेक्षणों से पता चला है कि—

(i) बी० आइ० एस० गुणवत्ता चिह्न के बिना चीन में निर्मित अवमानक खिलौने बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे हैं और कुछ जगहों पर, नकली बी० आइ० एस० लाइसेंसों का उपयोग किया गया है;

(ii) नकली हॉलमार्क वाले आभूषण अभी भी चलन में हैं और अवैध निर्माण केन्द्रों पर तस्करी के सोने से निर्मित आभूषण नकली हॉलमार्किंग के साथ खुदरा बाजार में आते हैं। ऐसे आभूषणों का विक्रय मूल्य ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 200 रुपये से 300 रुपये प्रतिग्राम तक कम कर दिया जाता है। नकली हॉलमार्किंग भी उपभोक्ताओं को अशुद्ध सोने से बने आभूषणों को खरीदने के लिए गुमराह करती है।

सरकार भी इन कदाचारों के परिणामस्वरूप कर राजस्व का भारी नुकसान उठा रही है।

विभाग में अतिरिक्त सचिव से महानिदेशक (बी० आइ० एस०) को डी० ओ० पत्र का एक मसौदा प्रस्तुत कीजिए, जिसमें निरीक्षण और प्रवर्तन गतिविधियों को तेज करने तथा लाइसेंस रद्द करने और समुचित दंड लगाने सहित शरारती तत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी गई हो।

As a number of health and safety related issues are involved with toys, India has made it mandatory in January 2021 to get the quality certification mark of 'ISI' from the Bureau of Indian Standards (BIS) for sale of toys in the country. There is a ban on sale of toys in the country without 'ISI' mark. Hallmarking of gold jewellery articles has also been made mandatory in phases from June 16, 2021 onwards in the interest of consumers.

The Department of Consumer Affairs has recently commissioned two country-wide surveys at the toy outlets and jewellers' premises, to assess the impact of both the mandatory orders on trade and industry and to find out instances of violation of the orders, if any. The surveys inter alia have revealed that—

(i) substandard toys made in China without BIS quality mark are being sold extensively and at some places, fake BIS licenses have been used;

(ii) fake hallmarked jewellery is still in circulation and jewellery articles manufactured with smuggled gold at illegal manufacturing centres make it to the retail market with fake hallmarking. The sale price of such articles is reduced by ₹200 to ₹300 per gram to attract the buyers. Fake hallmarking also misleads consumers into buying jewellery articles made of impure gold.

Prepp
Your Personal Exams Guide

The Government has also been losing substantial tax revenue as a result of these malpractices.

Put up a draft DO letter from the Additional Secretary in the Department to the Director General (BIS), advising him/her to intensify their inspection and enforcement activities and take strict action, including cancellation of licenses and imposition of appropriate penalties, against the miscreants. 25

(b) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क सुरक्षा शाखा (विंग) द्वारा देश में ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रमाणन से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया है। सभी हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों/परिवहन सचिवों/परिवहन आयुक्तों को संबोधित एक पत्र का मसौदा तैयार कीजिए, जिसमें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में सभी हितधारकों के बीच दिशानिर्देशों को प्रचारित करने का अनुरोध किया गया हो।

Under the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Road Safety Wing of the Ministry of Road Transport and Highways has notified Rules relating to accreditation of driving training centres in the country. The required guidelines have also been formulated for guidance of all stakeholders.

Draft a letter addressed to the Principal Secretaries/Secretaries (Transport)/ Transport Commissioners of all States/UTs, requesting them to publicize the guidelines among all stakeholders in the States/UTs for necessary action. 25

(c) बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों, परिवार पेंशनभोगियों और उनके संघों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए मौजूदा मानदंडों में संशोधन किया जाए ताकि वे 65 वर्ष की आयु के उपरांत लाभ प्राप्त कर सकें। संसदीय स्थायी समिति ने भी इसी तरह की सिफारिश की है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों पर यह संशोधन पहले ही लागू कर दिए हैं।

सरकार ने मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें सदस्य (स्टाफ), रेलवे बोर्ड; सदस्य (स्टाफ), डाक विभाग; वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक सदस्यों के रूप में होंगे।

संयुक्त सचिव के अनुमोदन के लिए जारी किए जाने वाले कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए।

Requests have been received from a large number of pensioners, family pensioners and their associations, requesting revision of the existing criteria for payment of additional pension to enable them to receive the benefit on attaining the age of 65 years onwards. The Parliamentary Standing Committee has also made a similar recommendation. Some of the State Governments have already revised the criteria applicable to their pensioners/family pensioners.

The Government has decided to constitute a Committee under the Chairmanship of the Secretary, Department of Pension and Pensioners' Welfare, with Member (Staff), Railway Board; Member (Staff), Department of Posts; Financial Advisor, Ministry of Home Affairs and Controller General of

Prepp
Your Personal Exams Guide

Accounts as Members, to examine the feasibility of revising the existing criteria.

Prepare a draft of the OM to be issued, for approval of the Joint Secretary. 25

4. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** के उत्तर दीजिए :

Attempt any *four* of the following :

(a) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों ने अभ्यावेदन किया है कि उनके वेतनमान, जिनमें बहुत समय से संशोधन नहीं किया गया है, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के मौजूदा वेतनमानों के बराबर किया जाए। वे यह भी चाहते हैं कि उच्च न्यायालय में उन्हें दिए जाने वाले विशेष वेतन और भत्ते जारी रहने चाहिए क्योंकि वे विशिष्ट रूप से उच्च न्यायालय के कार्य के लिए ही थे। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने अभ्यावेदन को भारत सरकार के न्याय विभाग को इस विषय में उनके विचारार्थ भेज दिया है।

न्याय विभाग के अनुभाग अधिकारी के रूप में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को, प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देते हुए उनकी सहमति के लिए आइ० डी० टिप्पणी का मसौदा तैयार कीजिए।

The staff of the Punjab and Haryana High Court made a representation that their pay scales, which had not been revised for long, be made equivalent to the present pay scales of various categories of staff working in the UT of Chandigarh. They also wanted the special pay and other allowances given to them in the High Court to continue as they were specific to their jobs in the High Court. The Registrar of the High Court sent the representation to the Department of Justice in Government of India for their views in the matter.

As Section Officer in the Department of Justice, draft an ID note for the Department of Expenditure, Ministry of Finance arguing in favour of the proposal for their concurrence. 15

(b) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री *ABC* के खिलाफ यौन उत्पीड़न की अनेक शिकायतें मंत्री जी को प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने संस्था के निदेशक को सलाह दी कि शिकायतों की जाँच का आदेश करें और जाँच रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मंत्री जी की सूचनार्थ मंत्रालय को की गयी कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है। संस्था के निदेशक ने संस्था की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को जाँच करने के लिए कहा। उसने श्री *ABC* अधिकारी को बर्खास्त करने का सुझाव देते हुए एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। मंत्रालय को श्री *ABC* से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि जाँच ठीक प्रकार नहीं की गयी है क्योंकि संस्था में कोई यौन उत्पीड़न शिकायत समिति नहीं है जो कि ऐसी शिकायतों की जाँच करने के लिए नियमानुसार आवश्यक है।

मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव (अ) की तरफ से एक पत्र का मसौदा तैयार कीजिए, जिसमें संस्था के निदेशक को संस्था में आवश्यक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करके नयी जाँच का आदेश करने के लिए कहा जाए।

Several complaints of sexual harassment were received against Mr. *ABC*, a senior officer in an Autonomous Institute under the Ministry of Health and Family Welfare by the Minister. The Ministry advised the Director of the Institute to order an inquiry into the complaints and action be taken against the officer in accordance with the inquiry report. A final report on the action

Prepp
Your Personal Exams Guide

taken was required to be sent to the Ministry for information of the Minister. The Director of the Institute asked a senior woman officer in the Institute to conduct the inquiry. She submitted her report within a week, suggesting dismissal of Mr. *ABC*. The Ministry received a representation from Mr. *ABC* that inquiry was not conducted properly as there existed no Sexual Harassment Complaints Committee in the Institute which as per law was mandatory to conduct inquiry on such complaints.

As Section Officer in the Ministry, draft a letter from the Joint Secretary (A) to be sent to the Director of the Institute to order fresh inquiry after constituting the necessary Internal Complaints Committee in the Institute. 15

(c) एन० एफ० एच० एस०–V आँकड़ों से पता चला है कि हालाँकि देश में लिंग अनुपात में समग्र रूप से सुधार हुआ है लेकिन कई राज्यों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत (1000 पुरुष प्रति 1020 महिलाएँ) से काफी नीचे है। ये राज्य हैं :

पंजाब—938 ; गुजरात—965 ; महाराष्ट्र—966 ; मध्य प्रदेश—970

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के रूप में सचिव की तरफ से इन चार राज्यों के मुख्य सचिवों को पी० सी०-पी० एन० डी० टी० अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन और विभिन्न अन्य प्रचार उपायों सहित विभिन्न कदम उठाकर राज्यों में वर्तमान स्थिति सुधारने के लिए डी० ओ० पत्र का मसौदा तैयार कीजिए।

NFHS–V data have revealed that though the sex ratio in the country has improved as a whole but several States have sex ratios much below the national average (1020 females per 1000 males). These States are :

Punjab—938; Gujarat—965; Maharashtra—966; Madhya Pradesh—970

As Section Officer in the Ministry of Women and Child Development, draft a DO letter from the Secretary to the Chief Secretaries of these four States for improving the current situation in the States by taking various steps including strict implementation of the PC-PNDT Act and various other publicity measures. 15

(d) नीति आयोग ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू निर्माताओं को अपने उत्पादन और निर्यात का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पी० एल० आइ०) योजना का प्रस्ताव तैयार किया। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके अनुसार भारत सरकार ने 13 क्षेत्रों के लिए पी० एल० आइ० योजनाओं के अंतर्गत धन का प्रावधान किया। उनमें से पाँच हैं : एडवांस कैमिस्ट्री सेल (ए० सी० सी) बैटरी, जिसका वित्त परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये हैं और कार्यान्वयन एजेंसी नीति आयोग तथा भारी उद्योग मंत्रालय है; 5,000 करोड़ रुपये वित्त परिव्यय सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, कार्यान्वयन एजेंसी—इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेन्ट्स—वित्त परिव्यय 57,042 करोड़ रुपये और कार्यान्वयन एजेंसी भारी उद्योग मंत्रालय है; वित्त परिव्यय 12,196 करोड़ रुपये सहित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद तथा कार्यान्वयन एजेंसी—दूरसंचार विभाग; 15,000 करोड़ रुपये के वित्त परिव्यय सहित फार्मास्युटिकल ड्रग्स और कार्यान्वयन एजेंसी है फार्मास्युटिकल विभाग।

नीति आयोग में अनुभाग अधिकारी के रूप में मंत्रिमंडल के निर्णय को सूचित करने के लिए आदेश का एक मसौदा तैयार कीजिए।

Prepp
Your Personal Exams Guide

The NITI Aayog prepared a proposal of Production Linked Incentive (PLI) Scheme, with the objective to incentivize domestic manufacturers to expand their production and exports under Make in India Programme. The Cabinet approved the proposal according to which the GoI has provisioned funds under PLI Schemes for 13 sectors. Five of them are : Advance Chemistry Cell (ACC) Battery with the financial outlay of ₹ 18,100 Cr, where implementing agency is NITI Aayog and Ministry of Heavy Industries; Electronic Technology Products with the financial outlay of ₹ 5,000 Cr, implementing agency is Ministry of Electronics and Information Technology; Automobile and Auto Components with the financial outlay of ₹ 57,042 Cr and implementing agency is Ministry of Heavy Industries; Telecom and Networking Products with the financial outlay of ₹ 12,196 Cr and implementing agency is Department of Telecom; Pharmaceutical Drugs with the financial outlay of ₹ 15,000 Cr and implementing agency is Department of Pharmaceuticals.

As Section Officer in the NITI Aayog, draft an Order for conveying the decision of the Cabinet. 15

(e) विधि कार्य विभाग, विधि मंत्रालय में ग्रेड डी के स्टेनोग्राफरों की रिक्तियों के लिए दो उम्मीदवारों को नामित किया गया है। संबंधित बोर्डों द्वारा किए गए उनके शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन से यह बात सामने आयी कि उनमें से एक उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र नकली है।

विभाग में अनुभाग अधिकारी (स्थापना) के रूप में उम्मीदवार के लिए कारण बताओ नोटिस तैयार कीजिए कि पद पर किया गया उसका चयन क्यों न रद्द कर दिया जाए।

Two candidates were nominated for the vacancies of Stenographers Grade D in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law. On verification of their educational certificates from the respective Boards, it came to notice that one of the candidates had submitted a fake Secondary School Certificate.

As Section Officer (Estt.) in the Department, prepare a Show Cause Notice to the candidate as to why his/her selection to the post may not be cancelled. 15

(f) पर्यटन मंत्रालय ने आइज़ोल, मिज़ोरम में 17 से 19 नवंबर, 2022 तक 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आइ॰ टी॰ एम॰) का आयोजन किया। मार्ट की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं :

- इसका लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रमुखता से दिखाना था।
- पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
- मिज़ोरम के मुख्यमंत्री और राज्य के पर्यटन मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
- त्रि-दिवसीय आयोजन में पूर्वोत्तर पर्यटन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पर्यटन और आतिथ्य संघों के प्रमुख, युवा पर्यटन क्लब सदस्य, अन्य सरकारी एजेंसियाँ, विक्रेता और क्रेता, मीडिया आदि शामिल हुए।
- हरित और टिकाऊ पर्यटन के साथ-साथ 'उत्तर-पूर्व में निवेश' पर केन्द्रित सत्रों की शुरुआत करके यह आयोजन 'पर्यटन ट्रैक के लिए G20 की प्राथमिकताओं' पर केन्द्रित था।
- मार्ट के द्वारा आठ पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन व्यवसाय बिरादरी और उद्यमियों को एकसाथ लाया जा सका।
- इसमें B2B बैठकें भी शामिल थीं जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के खरीददार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विक्रेताओं के साथ आमने-सामने बैठक करते थे।

Prepp
Your Personal Exams Guide

- इस आयोजन में मिज़ोरम के उन युवा पर्यटन क्लब सदस्यों को सम्मानित किया गया जो क्लब में शामिल हुए और जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।

पर्यटन मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में पत्र सूचना कार्यालय के लिए एक मसौदा टिप्पणी तैयार कीजिए जिसमें आइज़ोल में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आइ० टी० एम०) का प्रचार करने का अनुरोध किया गया है।

The Ministry of Tourism organized the 10th International Tourism Mart (ITM) from 17th to 19th November, 2022 at Aizawl, Mizoram. The following are the important features of the Mart :

- The objective was to highlight tourism potential of the North-East Region in domestic and international markets.
- The Minister for Tourism and Culture addressed the inaugural session.
- The Chief Minister and Tourism Minister of State for Mizoram were also present on the occasion.
- The three-day event was attended by Senior Officials of North-Eastern Tourism Departments, Heads of the Tourism and Hospitality Associations, Yuva Tourism Club members, other Government agencies, buyers and sellers, media, etc.
- The event focussed on 'Priorities of G20 for Tourism Track' by introducing the sessions on Green and Sustainable Tourism as well as on 'Investment in North-East'.
- The Mart brought together the tourism business fraternity and entrepreneurs from the eight North-Eastern States.
- It also included B2B meeting where buyers from different regions of the country got engaged in one-on-one meetings with sellers from the North-East Region.
- The event felicitated the Yuva Tourism Club members in Mizoram who joined the Club and participated in various competitions.

As Section Officer in the Ministry of Tourism, prepare a draft note for the Press Information Bureau with the request to give publicity to the International Tourism Mart (ITM) held at Aizawl. 15

* * *